


13

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector



No. SML-SR(57)/2016- 1131


Dated: 20.10.16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-45-30 hecter of forest land proposed to be diverted in favour of the Superintendent of Police Shimla for construction of Police Post Dhambi (Halog) in Village Ghandel, Tehsil Shimla-Rural District Shimla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla Tehsil.

It is further certified that:-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-45-30 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to G
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to
- the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA



Encl: As above

DA-III

1 SP/SMC

(Rohun Chand Thakur)
District Collector, Shimla

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-08-2016. At 4.00 P.M Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, Ghandal claiming rights in Village forest area(s) 0-45-30 hect. under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-


Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-45-30 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-08-2016


Deputy Commissioner-Cum- Chairman

A HATER
Cu
बहुसंख्यक,
शुद्ध 0 शिमला बहुसं

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 08-09-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

The following members of the District Level Forest Right Committee were present.


1. Shri G.C.Negi, Addl. District Magistrate, Shimla	Member Secy
2. Sh. H.K.Gupta, Divisional Forest Officer, Kotgarh	Member
3.. Sh.M.S.Chandel, ACF Shimla-Rural	Member
4. Sh. Ashok Negi, DFO Rampur	Member
5.Sh. Shakti Awasthi, ACF Theog	Member
6. Dr. Chaman Lal, DFO Rohru	Member
7. Sfr. Rampaul Singh, ACF, Chopal	Member
8..Smt.Neelam Saraik, Member Zila Parishad	Member
9. Smt. Anita Kimta, Member Zila Parishad	Member

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total 15 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.


The meeting ended with vote of thanks.



(H.K. Gupta)



(Ashok.Negi)



(Dr. Chaman Lal)



(Rampaul Singh)


(M.S.Chandel)


(Smt.Neelam Saraik)


(Shri G.C.Negi)


(Smt. Anita Kimta)


(Shakti Awasthi)

AT 12:30 PM



बहुमोसदार,
शिमला गढ़री

Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

(2)

OFFICE OF THE Sub- Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub Divisional Committee of Shimla Rural Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/of **Sh Gian Sagar Negi, SDO (Civil) Shimla Rural** on 02-09-2016 at 12-00 AM/PM at Shimla (Place) in which the applications submitted by applicants/Department of **Superintendent of Police Shimla, District Shimla** was discussed and recommended the same is to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:

S. No.	Name of Applicant	Name of forest	Detail of forest Right
1.	No Clame from anybody has been received	UPF Ghandal	Construction of Police Post Dhami (Halog) at Mile NH near Ghandal area 0-45-30 Hect.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	-	-	-
2.			

OR

As informed by _____ Gram Sabha on application was received claiming rights in _____ forest area.

Place: Shimla

Date: 09-02-2016

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

(3)

वन अधिकार समिति
राजस्व ग्राम घण्डल, डा0 शकराह तह0 व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

पत्र संख्या.....
प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

पुलिस थाना धामी के
भवन निर्माण से सम्बन्धित भूमि के लिए
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बारे।

आज दिनांक 5/4/15 को वन अधिकार समिति, राजस्व ग्राम घण्डल की बैठक वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, श्री जय सिंह चन्देल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि हि0 प्र0 पुलिस विभाग पुलिस थाना धामी को वन अधिकार के तहत खसरा न0 679/1 रकबा 0-45-30 हैक्टेअर वन भूमि को उक्त पुलिस थाना के लिए स्थानान्तरित/अनापत्ति प्रमाण पत्र पर जारी करने के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई जिसमें सर्व- सहमति से निर्णय लिया गया कि उक्त खसरा न0 679/1 भूमि अगर हि0 प्र0 पुलिस विभाग पुलिस थाना धामी भवन निर्माण के लिए दी जाती है तो वन अधिकार समिति तथा राजस्व ग्राम घण्डल को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रस्ताव की प्रति प्रधान ग्राम पंचायत, शकराह को आवश्यक कार्यवाही व अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना विलम्ब जारी करने हेतु अग्रेषित है ताकि उक्त संस्थान के भवन का निर्माण तदनुसार हो सके।

सचिव

P.L. Bhatia

प्रधान

Shanley

सचिव
वन अधिकार समिति
राजस्व ग्राम घण्डल

प्रधान
वन अधिकार समिति
शकराह तह0

4

(सूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा ब्राह्मवर्गम घण्डल

प्रांतीय प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 5 4 15

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा ब्राह्मवर्गम घण्डल की बैठक आज दिनांक 5 4 15
को 4:00 बजे स्थान घण्डल में श्री/ श्रीमति जयविहारे चंदेल
की अध्यक्षता में की गई जिसमें घण्डल गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें हिमप्रो पुलि विभाग द्वारा ** प्रकृत वन धामी
के निर्माण के लिए 0.45-30 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए
दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा
द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
---------	-------------------------	-------------	---------------------

1

2

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस बात इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
---------	-------------------------

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान घण्डल

दिनांक 5 4 15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग
की अनुमति दी जानी है।

(5)

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 23.....

दिनांक 19-10-2018

ग्राम सभा ग्राम पंचायत शकराह की बैठक आज दिनांक 19-10-2018 को 11:00 AM बजे स्थान ग्राम पंचायत शकराह में श्री/ श्रीमति सुमन गर्ग (प्रधान) की अध्यक्षता में की गई जिसमें ग्राम पंचायत शकराह गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम खण्ड जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें हि.प्र. पुलिस विभाग द्वारा पुलिस** पाना / न्योकी के निर्माण के लिए खसरा नं. 679/1-0-45-30 हैक्टेंयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क0सं0 *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा

1

2

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क0सं0 *पात्र गांव वासी का नाम

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्व ग्राम खण्ड जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान शकराह
दिनांक 19-10-2018

प्रधान

ग्राम पंचायत शकराह

डा. शकराह, तह. न. जिला शिमला

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम पंचायत शकराह
ग्राम सभा

38/11/2018

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

6

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शकराह
विकास खण्ड भगोवरा जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

गणपूर्ति 280/532 /

दिनांक 19-10-2018

प्रस्ताव संख्या 23

विषय: हि.प्र. पुलिस विभाग/संस्था को पुलिस थाना / चौकी
अवन के निर्माण हेतु राजरव गांव बाउल जंगल/ वन क्षेत्र
में प्रस्तावित खसरा नं. 679/1 0-45-30 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शकराह की बैठक आज दिनांक 19-10-2018 को 11:00 AM बजे, स्थान शकराह
पु. पुलिस विभाग/संस्था को पुलिस थाना / चौकी की गई, जिसमें हि.
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-45-30 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 0-45-30 हैक्टयर वन भूमि को पुलिस थाना / चौकी निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा शकराह की सहमति दी जाती है।

स्थान शकराह
दिनांक 19-10-2018

प्रथम

ग्राम पंचायत शकराह
डा. शकराह, तह. 3 जिला शिमला

अधीकृत हस्ताक्षर शकराह
ग्राम सभा खण्ड भगोवरा



कार्यालय ग्राम पंचायत शकराह

विकास खण्ड मशोबरा

(7)

डा० शकराह, तहसील व जिला शिमला (हि०प्र०)

आज दिनांक 19-10-2018 को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत शकराह की मासिक/विशेष बैठक
प्रधान श्री/श्रीमती सुभन राणा जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपस्थिति 280/534 रही तथा
निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।
क्रमांक G.P. शकराह 17/2018. दिनांक 28/11/2018.
प्रस्ताव नं. 23.

16 मील में पुलिस घाना खोलने कोरे।

उमाज ग्राम

सभा बैठक में उपरोक्त विषय कोरे विचार विमर्श कर प्रस्ताव पारित
व स्वीकृत हुआ कि 16 मील में पुलिस घाना खोलने हेतु पंचायत बैठक
दिनांक 22-01-2014 को प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पर ग्राम सभा
द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि खसरा नं० 679/1
महल खण्ड में पुलिस विभाग द्वारा पुलिस घाना या चौकी खोली
जाती है तो ग्राम सभा शकराह को कोई भी क्षति नहीं है।

अतः ग्राम सभा

बैठक में प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित व स्वीकृत हुआ।

प्रतिलिपि सेवामें प्रेषित :- पुलिस अधीक्षक शिमला, जिला शिमला (हि०प्र०)

नकल प्रस्ताव असल केसही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत शकराह
डा. शकराह, तह. शिमला (हि.प्र.)

सचिव
ग्राम पंचायत शकराह
विकास खण्ड मशोबरा